उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-9/2015/158/92-2-15-21जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 20 नवम्बर,2015

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-मथुरा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत स्वीकृत पैकेजों पर प्राप्त निविदाओं में की गयी अनियमितताओं, ग्राम्य विकास अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-पी-259/अडतीस-9-13-15पीएमजीएसवाई/2013, दिनांक 07-03-2013 का उल्लंघन करते हुये दिनांक 22-04-2013 को निविदा की वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट पार्ट-2 उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण से अनापत्ति प्राप्त किये बगैर अपलोड करने, निविदाओं के संबंध में प्राप्त शिकायतों को छिपाये जाने आदि से संबंधित कारित गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं अपकृत्यों में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3147/92-13-82 (जॉच)/2013, दिनांक 04-09-2013 द्वारा श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु प्रमुख अभियंता, (ग्रामीण सडक) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/प्रमुख अभियंता, (ग्रामीण सडक) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 21-03-2014 द्वारा शासन में जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/ प्रमुख अभियंता, (ग्रामीण सडक) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 21-03-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 09-05-2014 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 02-07-14 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी अधिकारी पर उनके विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04-09-2013 द्वारा श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/2015/158(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री सच्चिदानन्द पाण्डेय, तत्कलीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-आगरा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।